

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (न्यायालय-II) के समक्ष सीपी (सीएफ़) संख्या 68/एनडी/2025 संबंधित सीए (सीएफ़) संख्या 35/एनडी/2025 (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और अन्य प्राथमिक प्राधान्यों के अंतर्गत) निम्नालिखित के बीच विषय की योजना के माध्यम से।

एफएस इंडिया देवको प्राइवेट लिमिटेड...

याचिकाकर्ता संख्या 1/हस्तांतरित कंपनी और

फर्स्ट सोलर पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ...याचिकाकर्ता संख्या 2/हस्तांतरित कंपनी और

और उनके संबंधित शेयरधारक एवं लेनदार याचिका की सूचना

कृपया ध्यान दें कि एफएस इंडिया देवको प्राइवेट लिमिटेड ("हस्तांतरक कंपनी"), फर्स्ट सोलर पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("हस्तांतरिती कंपनी"), और उनके संबंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों ("योजना") के विषय की योजना को मंजूरी देने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और अन्य लागू प्राधान्यों के तहत एक कंपनी याचिका, उपरोक्त नामित "याचिकाकर्ता कंपनियों" द्वारा माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (न्यायालय II) ("माननीय एनसीएनटी") की पीठ में 02 अगस्त 2025 को दायर की गई थी। माननीय एनसीएनटी द्वारा पारित 12 अगस्त 2025 के आदेश के अनुसार हमें, उक्त याचिका अब माननीय एनसीएनटी के सभा 04 नवंबर 2025 को सुनवाई और निपटान के लिए निर्धारित है। कोई भी इच्छुक व्यक्ति याचिका का समर्थन या विरोध करने के इच्छुक व्यक्ति को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता (नीचे दिए गए पते पर) को ऐसा करने के अपने इरादे की सूचना, स्वयं उससे/उसके/उसके अधिवक्ता/अधिवक्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित, उसके नाम और पते के साथ भेजनी चाहिए, ताकि यह याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित से दो (2) दिन पहले याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और माननीय एनसीएनटी तक पहुंच जाए। यदि उक्त व्यक्ति को सूचना प्राप्त करना चाहता है, तो उसे ऐसे नोटिस के साथ विरोध के आधार और एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा। याचिका की एक प्रति अमेरिस्टाक्षरी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, इसकी आवश्यकता वाले किसी भी व्यक्ति को प्रदान की जाएगी।

एसडी/- जे. सागर एसोसिएट्स याचिकाकर्ताओं के वकील तीसरी मंजिल, एवर सी बिल्ड ट्रेड सेंटर, नवीनजी नगर दिल्ली 110029 ईमेल: aniket-aggarwal@salaw.com दिनांक: 27 अगस्त 2025

पंजीकृत कार्यालय: पीएनए हाउस, प्रथम तल, 57 और 57/1, एम्पाइर/असी, कपूरली (एनटी), मुंबई -400093, वेबसाइट: www.indusind.com

सार्वजनिक सूचना
(सूचना हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 (1) के अंतर्गत)
वित्तीय आस्तियों के प्रतिनिधित्व और पुनर्निर्माण तथा सूचना हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत नोटिस की सेवा प्रतिस्थापित की गई

नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं को नोटिस दिया जाता है कि उन्होंने इस्सरेड बैंक लिमिटेड (आइसीएल) से उनके द्वारा प्राप्त क्रेडिट सूचना के पुनर्गठन में चुक की है, इसलिए उनकी ऋण क्रेडिट सूचना को आयोजित दिनांकितियों के अनुसार बैंक की सूचनाओं में गैर-निष्पादित संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद, बैंक ने उक्त उधारकर्ताओं के अनिवार्य ज्ञापन पत्र पर वित्तीय संपत्तियों के प्रतिनिधित्व और पुनर्निर्माण और सूचना हित अधिनियम, 2002 (संबंधित अधिनियम) की धारा 13 (2) के तहत नीचे उल्लिखित संबंधित उधारकर्ताओं को मांग नोटिस जारी किए हैं, जिससे उन्हें संबंधित मांग नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान संबंधित नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, नीचे उल्लिखित राशि पर संवित्तात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज और प्रकृत मांग नोटिस में बताए गए सांख्यिकी ब्याज, लागत, शुल्क आदि के साथ करने की मांग की गई है। तत्पश्चात, यह सेवा हमारे द्वारा इस प्रकारण के माध्यम से सूचना हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (संबंधित अधिनियम) के नियम 3 के अनुसार की जा रही है।

उधारकर्ता और उधारकर्ता का नाम एवं पता	सुरक्षित परिसंपत्ति/बैंक संपत्तियों का विवरण:	नीचे वर्णित निरंक व कुल बकाया राशि (₹.)	ऋण खाता सं.
1. श्रीमति अरोड़ा (उधारकर्ता) 2. श्रीमती शकुलता अरोड़ा 3. श्री नरेंद्र अरोड़ा (हस्त-अरोड़ा) पहले नं. 711, पत्र प्रतिनिधि (आपटेस्ट) सेक्टर 28, मेन गोकुल कोस रोड, गैलिया, डीएलएच-IV, गुडगांव, हरियाणा - 122009 अन्य पता: ई-057, लोक ई, पलेस्टी रेजिस्ट्री स्थल, पलेस्टी मंडल, सुवाल लोक फेज 1। पलेस्टी सोलन, गुडगांव, हरियाणा 122009 अन्य पता: संपत्ति संख्या 21-ए मूल, दुकान नंबर 8, अरोला फ्लैट्स बेरो, नई दिल्ली-110074	सम्पत्ति का यह समस्त भाग एवं अंश जोकि पलेस्टी रेजिस्ट्री में अरोला पलेट, योजना नं. 57, प्रथम तल, ब्लॉक ई, जिसका सुरक्षित-उधार क्षेत्रफल 1373 वर्ग फुट (127.55 वर्ग मीटर) ब्लॉक ई में स्थित संख्या 57 रा निर्मित, जिसका क्षेत्रफल 265.00 वर्ग मी. (904.98 वर्ग फुट) इमारत लोक के नाम से जानी जाने वाली आवासीय कोलोनी, क्लेम-11 और घाटा नॉक के आसपास, तहसील जलोराबाद, गुडगांव, हरियाणा 122015, बिक्री विवरण बरौकी संख्या 12990 दिनांक 06.10.2022 के माध्यम से श्रीमती शकुलता अरोड़ा के पक्ष में, जिसकी सीमाएं पूर्व: पलेस्टी सं. ई56, पश्चिम रोड, उत्तर: पलेट संख्या ई58, दक्षिण: अना मूनि	₹. 95,11,399.73 (रु. पचास लाख नव्याह हजार तीन सौ नव्याने और पैसे तिस्रह मात्र)	एनपीए की तिथि 04/07/2025
		दिनांक 15.07.2025 तक आने वाला ऋण और भुगतान	मांग सूचना की तिथि 16/08/2025

हम इस नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर, जारी किए गए संबंधित मांग नोटिस में विशेष रूप से उल्लिखित बकाया राशि, उस पर अतिरिक्त ब्याज और लागत, शुल्क, ब्याज आदि का भुगतान करने के लिए यहां उल्लिखित उधारकर्ता से आग्रह करते हैं, अन्यथा हम उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) /अवस संपत्ति (संपत्तियों) के विकास कायदाई करने के लिए सूचित होंगे, जो कि उधारकर्ता(ओं) /संघ उधारकर्ता(ओं) /कागुनी उधारकर्ता(ओं) /कागुनी अधिनियम(ओं) के अधिनियम पर पूर्ण रूप से सुरक्षित संपत्ति को अपने कब्जे में लेने और बेचने तक सीमित नहीं है। कृपया ध्यान दें कि संबंधित अधिनियम की धारा 13(1) के अनुसार, (आप सभी को बैंक की पूर्व लिखित सूचना के बिना उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्यथा तरीके से स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है)। आपके द्वारा उक्त धारा को कोई भी उल्लंघन संपत्तियों की धारा 29 और/या इस संबंध में किसी अन्य कानूनी प्रावधान के तहत निर्धारित दंडात्मक प्राधान्यों को लागू करेगा। कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के अनुसार, यदि आईबीएल की बकाया राशि के साथ-साथ आईबीएल द्वारा किए गए सभी लागत, शुल्क और ब्याज बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समग्र अवधि को सौंप दिए जाएं हैं, तो सुरक्षित परिसंपत्ति को आयोजित द्वारा बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, और उस सुरक्षित परिसंपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए आवश्यक द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

दिनांक: 27.08.2025, स्थान: हरियाणा

कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड

CAPITAL INDIA पंजीकृत पता: 701, 7वीं मंजिल, अनावाल कॉम्प्लैट टॉवर, प्लॉट नंबर 23, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008, CIN: U65990DL2017PLC322041

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस

आप नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं ने ऋण समझौते और अन्य लेनदेन दस्तावेजों ("लेनदेन दस्तावेजों") की शर्तों और नियमों के अनुसार कैपिटल इंडिया होम लोन लिमिटेड ("ऋणदाता" / "सुरक्षित लेनदार") से नीचे उल्लिखित संपत्ति ("सुरक्षित संपत्ति") की प्रतिभूति के विरुद्ध ऋण लिया है। आपके द्वारा की गई डिफॉल्ट टिप्पणियों के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिसंपत्ति वर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ऋणदाता ने अधिनियम की धारा 13(2) और नियमों के प्रासंगिक प्राधान्यों के अनुसार, आपको नीचे उल्लिखित मांग नोटिस जारी किया है। इसलिए, अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार नोटिस की सेवा करने हेतु वर्तमान प्रकाशन किया गया है।

उधारकर्ता(ओं) का नाम और पता, ऋण खाता सं. और याचिका	सुरक्षित आस्तियों का विवरण	मांग सूचना की तिथि और एनपीए की तिथि	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि
जयवीर सिंह पुत्र चरन सिंह सुमित्रा पत्नी जयवीर, वीपीओ-तिताथल (6), भिवानी, मित्ताथल बी.ओ., भिवानी, हरियाणा-127031 ऋण सं. HLN.LAPKN.L0017390 और HLN.LAPKN.L0020522	खेत नं.305 मि खतौनी संख्या 326 मि और खसरा नं. 135/-/17/2 (0-12) 19(1-13) 20(5-16) 21(8-0) 22(8-0) 23(7-4) 24/1/1-18), (वर्ष 2021-2022 के लिए नवीनमान जमाबंदी के अनुसार, खेत नंबर 390 और खतौनी नंबर 407) वाका मौजा मिताथल, तहसील एवं जिला भिवानी-127031, सभी अधिकारों के साथ (जिसमें साझा क्षेत्रों, सुविधाओं, सुख-सुविधाओं, विकास अधिकारों आदि (जैसा लागू हो) के उपयोग और अभिभाग के अधिकार, और उनसे जुड़ी सभी फर्नीचर, फिक्चर, फिटिअर और चीजें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) सीमाबद्ध: पूर्व: स्वामित्व विलेख के अनुसार, पश्चिम: स्वामित्व विलेख के अनुसार, उत्तर: स्वामित्व विलेख के अनुसार, दक्षिण: स्वामित्व विलेख के अनुसार	11-07-2025 और 09-07-2025	₹. 26,88,992/- (रु. छब्बीस लाख अठ्ठासी हजार नौ सौ बान्ने मात्र) और ₹. 12,22,199/- (रु. बारह लाख बाईस हजार एक सौ नव्याने मात्र)

अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर ऋणदाता को उपरोक्त राशि का भुगतान करें, साथ ही भुगतान की तिथि तक अर्जित/उस पर अर्जित होने वाले ब्याज, लागत, ब्याज आदि का भी भुगतान करें, अन्यथा ऋणदाता अधिनियम और नियमों के प्राधान्यों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करेगा। कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित ऋणदाता को उपलब्ध अधिकारों में अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षित परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की अधिकार शामिल हैं, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण का अधिकार शामिल है, सुरक्षित परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए किसी व्यक्ति को प्रबंधक के रूप में नियुक्त करना और किसी भी व्यक्ति को, जिससे उधारकर्ता से कोई सुरक्षित परिसंपत्ति अर्जित की है और जिससे कोई धनराशि उधारकर्ता को देय है या हो सकती है, सुरक्षित ऋणदाता को उसी धारा द्वारा भुगतान करने की आवश्यकता होती है, जिसकी कि सुरक्षित ऋण का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है।

अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको बिक्री, पट्टे या अन्यथा तरीके से सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने, निपटाने या उनसे निपटने से रोक/निषिद्ध किया जाता है।

दिनांक: 27.08.2025

स्थान: हरियाणा

Home First Finance Company India Limited

CIN: L65990MH2010PLC240703, Website: homefirstindia.com Phone No.: 180030008425 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

प्राइवेट ट्रीटी के नियम 8(6) के तहत सूचना
विशेषकर, नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं को नोटिस दिया जाता है कि उन्होंने इस्सरेड बैंक लिमिटेड (आइसीएल) से उनके द्वारा प्राप्त क्रेडिट सूचना के पुनर्गठन में चुक की है, इसलिए उनकी ऋण क्रेडिट सूचना को आयोजित दिनांकितियों के अनुसार बैंक की सूचनाओं में गैर-निष्पादित संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद, बैंक ने उक्त उधारकर्ताओं के अनिवार्य ज्ञापन पत्र पर वित्तीय संपत्तियों के प्रतिनिधित्व और पुनर्निर्माण और सूचना हित अधिनियम, 2002 (संबंधित अधिनियम) की धारा 13 (2) के तहत नीचे उल्लिखित संबंधित उधारकर्ताओं को मांग नोटिस जारी किए हैं, जिससे उन्हें संबंधित मांग नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान संबंधित नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, नीचे उल्लिखित राशि पर संवित्तात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज और प्रकृत मांग नोटिस में बताए गए सांख्यिकी ब्याज, लागत, शुल्क आदि के साथ करने की मांग की गई है। तत्पश्चात, यह सेवा हमारे द्वारा इस प्रकारण के माध्यम से सूचना हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (संबंधित अधिनियम) के नियम 3 के अनुसार की जा रही है।

क्र. सं.	खाता/गारंटोर का नाम	सम्पत्ति का विवरण/सम्पत्ति का स्थानी	सम्पत्ति में मौजूद चल वस्तुओं (लाभकारी) का वर्णन	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि (आईएनएचए में)	चल वस्तुओं की सूचना की तिथि	चल वस्तुओं की बिक्री सूचना की तिथि	समाचार पत्र	चल वस्तुओं की ई-नौलामी की तिथि	सुरक्षित मूल्य (आईएनएचए में)	प्राधिकृत अधिकारी का नंबर
1.	कमल सिंह, कमली बाई	मकान-3271, पट्टा नंबर 3271, निसन नंबर 21, खसरा नंबर 1487/1251, धनेस्वर, धनेस्वर, राजस्थान-323022, चौहदरी - पूर्व : पाटू मोल का मकान, पश्चिम : भावना भील का मकान, उत्तर : रोड, दक्षिण : देवो लाल भील का मकान	घातु की अलमारी, टीवी, सिंगल बेड, चारपाई/बेड, सिलाई मशीन, खुली आइटम	17,20,257	22-07-2025	07-08-2025	बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी-हिंदी)	14-08-2025	5,000	9887453666

सरफरशी ऐक्ट, 2002 के तहत काबूनी बिक्री नोटिस
एवंद्वारा कर्जदार/गारंटोर को अधिसूचित किया जाता है कि मांग सूचना में वर्णित अनुसार बकाया राशि अद्यतन ब्याज और अनुबंधी खर्चों के साथ इस सूचना की तिथि से चुकता कर दें, जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई, ब्याज और लागत सहित चुकाने की जाएगी।

दिनांक: 27-08-2025

स्थान: कोल-राजस्थान

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड

हस्ता./एवंद्वारेक्ट ऑफ एवेंद्वारा

दिनांक: 26.08.2025

स्थान: नई दिल्ली

माननीय एनसीएनटी द्वारा बैंक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

हस्ता./एवंद्वारेक्ट ऑफ एवेंद्वारा

दिनांक: 26.08.2025

स्थान: नई दिल्ली

माननीय एनसीएनटी द्वारा बैंक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

हस्ता./एवंद्वारेक्ट ऑफ एवेंद्वारा

दिनांक: 26.08.2025

स्थान: नई दिल्ली

माननीय एनसीएनटी द्वारा बैंक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

हस्ता./एवंद्वारेक्ट ऑफ एवेंद्वारा

दिनांक: 26.08.2025

स्थान: नई दिल्ली

माननीय एनसीएनटी द्वारा बैंक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

हस्ता./एवंद्वारेक्ट ऑफ एवेंद्वारा

दिनांक: 26.08.2025

स्थान: नई दिल्ली

माननीय एनसीएनटी द्वारा बैंक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

हस्ता./एवंद्वारेक्ट ऑफ एवेंद्वारा

दिनांक: 26.08.2025

स्थान: नई दिल्ली

माननीय एनसीएनटी द्वारा बैंक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

हस्ता./एवंद्वारेक्ट ऑफ एवेंद्वारा

दिनांक: 26.08.2025

स्थान: नई दिल्ली

माननीय एनसीएनटी द्वारा बैंक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

हस्ता./एवंद्वारेक्ट ऑफ एवेंद्वारा

दिनांक: 26.08.2025

स्थान: नई दिल्ली

माननीय एनसीएनटी द्वारा बैंक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

हस्ता./एवंद्वारेक्ट ऑफ एवेंद्वारा

दिनांक: 26.08.2025

स्थान: नई दिल्ली

माननीय एनसीएनटी द्वारा बैंक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

हस्ता./एवंद्वारेक्ट ऑफ एवेंद्वारा

दिनांक: 26.08.2025

स्थान: नई दिल्ली

माननीय एनसीएनटी द्वारा बैंक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

हस्ता./एवंद्वारेक्ट ऑफ एवेंद्वारा

दिनांक: 26.08.2025

स्थान: नई दिल्ली

माननीय एनसीएनटी द्वारा बैंक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

हस्ता./एवंद्वारेक्ट ऑफ एवेंद्वारा

दिनांक: 26.08.2025

स्थान: नई दिल्ली

माननीय एनसीएनटी द्वारा बैंक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

हस्ता./एवंद्वारेक्ट ऑफ एवेंद्वारा

दिनांक: 26.08.2025

स्थान: नई दिल्ली

माननीय एनसीएनटी द्वारा बैंक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

हस्ता./एवंद्वारेक्ट ऑफ एवेंद्वारा

दिनांक: 26.08.2025

स्थान: नई दिल्ली

माननीय एनसीएनटी द्वारा बैंक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

हस्ता./एवंद्वारेक्ट ऑफ एवेंद्वारा

दिनांक: 26.08.2025

स्थान: नई दिल्ली

माननीय एनसीएनटी द्वारा बैंक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

हस्ता./एवंद्वारेक्ट ऑफ एवेंद्वारा

दिनांक: 26.08.2025

स्थान: नई दिल्ली

माननीय एनसीएनटी द्वारा बैंक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

हस्ता./एवंद्वारेक्ट ऑफ एवेंद्वारा

दिनांक: 26.08.2025

स्थान: नई दिल्ली

माननीय एनसीएनटी द्वारा बैंक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

हस्ता./एवंद्वारेक्ट ऑफ एवेंद्वारा

दिनांक: 26.08.2025

स्थान: नई दिल्ली

माननीय एनसीएनटी द्वारा बैंक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

हस्ता./एवंद्वारेक्ट ऑफ एवेंद्वारा

दिनांक: 26.08.2025

स्थान: नई दिल्ली

माननीय एनसीएनटी द्वारा बैंक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

हस्ता./एवंद्वारेक्ट ऑफ एवेंद्वारा

दिनांक: 26.08.2025

स्थान: नई दिल्ली

माननीय एनसीएनटी द्वारा बैंक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

हस्ता./एवंद्वारेक्ट ऑफ एवेंद्वारा

दिनांक: 26.08.2025

स्थान: नई दिल्ली

माननीय एनसीएनटी द्वारा बैंक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

हस्ता./एवंद्वारेक्ट ऑफ एवेंद्वारा

दिनांक: 26.08.2025

स्थान: नई दिल्ली

माननीय एनसीएनटी द्वारा बैंक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

हस्ता./एवंद्वारेक्ट ऑफ एवेंद्वारा

दिनांक: 26.08.2025

स्थान: नई दिल्ली

माननीय एनसीएनटी द्वारा बैंक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

हस्ता./एवंद्वारेक्ट ऑफ एवेंद्वारा

दिनांक: 26.08.2025

स्थान: नई दिल्ली

माननीय एनसीएनटी द्वारा बैंक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

हस्ता./एवंद्वारेक्ट ऑफ एवेंद्वारा

दिनांक: 26.08.2025

स्थान: नई दिल्ली

माननीय एनसीएनटी द्वारा बैंक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

हस्ता./एवंद्वारेक्ट ऑफ एवेंद्वारा

दिनांक: 26.08.2025

स्थान: नई दिल्ली

माननीय एनसीएनटी द्वारा बैंक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

हस्ता./एवंद्वारेक्ट ऑफ एवेंद्वारा

दिनांक: 26.08.2025

स्थान: नई दिल्ली

माननीय एनसीएनटी द्वारा बैंक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

हस्ता./एवंद्वारेक्ट ऑफ एवेंद्वारा